'बरी होने मात्र से पूरे बकाया वेतन का अधिकार नहीं मिलता'

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की युगल पीठ का महत्वपूर्ण निर्णय

जी. के. छिब्बर

1. मामला क्या था–याचिकाकर्ता प्रसाद नायक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में सिविल सुपरवाइजर था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ। स्पेशल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया, जिसके बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।

बाद में कर्मचारी ने उच्च न्यायालय में अपील की। इस दौरान वह सेवानिवृत्त भी हो गया। उच्च न्यायालय ने उसकी दोषसिद्धि रद्द कर उसे बरी कर दिया।

बरी होने के बाद विभाग ने बर्खास्तगी का आदेश तो वापस ले लिया और उसे 'काल्पनिक रूप से सेवा में बहाल' माना, लेकिन बर्खास्तगी से सेवानिवृत्ति तक की अवधि का वेतन और अन्य लाभ देने से इनकार कर दिया।

2. कर्मचारी का तर्क–कर्मचारी ने कहा कि जब दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं हो पाई और उसे सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया, तो उसे उस पूरी अवधि का वेतन-भत्ता मिलना चाहिए, जब वह सेवा से बाहर रहा।

3. उच्च न्यायालय ने क्या कहा–मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवीन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कर्मचारी की अपील खारिज कर दी।

कोर्ट के मुख्य बिंदु:

1. 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू होगा–सिर्फ आपराधिक मामले में बरी हो जाने से बर्खास्तगी की अवधि का पूरा बकाया वेतन पाने का स्वत: अधिकार नहीं मिल जाता।
2. बाद में बरी होना पिछली स्थिति को पूर्व प्रभाव से समाप्त नहीं करता–कर्मचारी की बर्खास्तगी उस समय प्रभावी और वैध दोषसिद्धि के आधार पर की गई थी। अपील में बरी हो जाने से दोषसिद्धि के आधार पर पहले से उत्पन्न कानूनी परिणाम स्वत: समाप्त नहीं हो जाते।
4. **यह फैसला अकेला नहीं है**–इसी तरह का रुख बॉम्बे उच्च न्यायालय और रांची उच्च न्यायालय ने भी अपनाया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि रिश्वत के मामले में गिरफ्तारी के कारण निलंबित हुए कर्मचारी को पूरी सैलरी का वित्तीय बोझ नियोक्ता पर नहीं डाला जा सकता।
5. **लेकिन कब मिल सकता है बकाया वेतन?**–हर मामला तथ्यों पर निर्भर करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में कहा कि आरोपों से बरी होने के बावजूद वेतन रोकना अनुचित है। साथ ही, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ही एक अन्य प्रकरण में कहा था कि यदि बर्खास्तगी गैरकानूनी तरीके से हुई हो और उसे रद्द कर दिया जाए, तो कर्मचारी वरिष्ठता सहित सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।

संक्षेप में: कोर्ट का मानना है कि बरी होना अपने आप 'बैक वेजेज' की गारंटी नहीं देता। यह देखा जाएगा कि बर्खास्तगी/निलंबन उस समय की परिस्थितियों में उचित था या नहीं, और कर्मचारी वास्तव में काम पर था या नहीं।

डिजिटल कनेक्टिविटी और नेटवर्क सुधार से मरीजों व परिजनों को बेहतर सुविधा

एम्स और बीएसएनएल के बीच डिजिटल सेवाओं पर समझौता

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल और भारत संचार निगम लिमिटेड भोपाल के बीच दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते का उद्देश्य अस्पताल परिसर में संचार व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है।

समझौते के तहत टेलीफोन कनेक्टिविटी, फाइबर टू द होम, प्राथमिक दर इंटरफेस, टोल मुक्त सेवाएं और क्लाउड आधारित उपयोगकर्ता समूह कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही परिसर में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, जिससे मरीजों, उनके परिजनों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को बेहतर संचार सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

इस पहल के अंतर्गत नेटवर्क उन्नयन और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के विकास के लिए तकनीकी परामर्श और सहयोग भी प्रदान किया जाएगा।

इससे संस्थान की डिजिटल प्रणाली अधिक सशक्त होगी और विभिन्न सेवाओं का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। मरीजों के उपचार में डिजिटल सेवा का उपयोग होगा।

अधिकारियों के अनुसार यह समझौता स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और मरीजों के अनुभव को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इससे अस्पताल परिसर में डिजिटल कनेक्टिविटी और सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा।

कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी और दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस पहल को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल भारत की अवधारणा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

गर्मी बरकरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: आंधी-बारिश के बीच मंगलवार को मध्य प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिले। छतरपुर के खजुराहो में पारा रिकॉर्ड 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

नाम परिवर्तन सूचना

554

मैं कशिश शाह (KASHISH SHAH) पत्नी श्री गुलशन शाह (GUSHAN SHAH) आयु-वयस्क निवासी-म.नं.-HIG-44, ए-सेक्टर, सोनागिरी, रायसेन रोड, भोपाल म.प्र. सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे शादी के पूर्व का नाम दीप्ति चावला पुत्री स्व. श्री धनराज चावला था। जबकि मेरे विवाह बाद मेरा सही नाम कशिश शाह (KASHISH SHAH) पत्नी श्री गुलशन शाह (GUSHAN SHAH) दर्ज है जो कि सही है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। अत: भविष्य में मेरा नाम कशिश शाह (KASHISH SHAH) पत्नी श्री गुलशन शाह (GUSHAN SHAH) सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में इन्ही नामों से जाना एवं पहचाना जावे।

ऑप्टिकल फाइबर आधारित आधुनिक सिग्नलिंग से सशक्त हुआ भोपाल मंडल का महत्वपूर्ण रेलखंड

कल्हार-बरेठ-गंजबासौदा रेलखंड हुआ हाई-टेक ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली चालू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: रेल संरक्षा और परिचालन क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने डीआरएम श्री पंकज त्यागी के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मंडल के कल्हार-बरेठ-गंजबासौदा रेलखंड पर आधुनिक ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली का 9 जून को सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया है।

लगभग 19.57 किलोमीटर लंबे इस खंड में अत्याधुनिक ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से ब्लॉक सेक्शन में ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित, तेज और कुशलतापूर्वक किया जा सकेगा।

संपूर्ण व्यवस्था का नियंत्रण सीमेंस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा इसकी निगरानी स्टेशन मास्टर कक्ष में स्थापित वीडियो डिस्प्ले यूनिट के माध्यम से की जाती है।

परियोजना के अंतर्गत कल्हार-बरेठ तथा बरेठ-गंजबासौदा खंडों में आधुनिक रिले हटों का निर्माण किया गया है। संचार व्यवस्था को विश्वसनीय बनाने के लिए 24 फाइबर ऑप्टिक केबल की रिंग संरचना तथा 48-कोर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा खंड में 45 ऑटो सिग्नल और 196 डेटा पॉइंट स्थापित किए गए हैं।

रिले हटों में डाटा लॉगर, निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रणाली, स्वचालित अग्नि पहचान एवं अलार्म प्रणाली तथा 25 केवीए क्षमता के ऑटोमैटिक ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं। सभी व्यवस्थाएं आरडीएसओ के निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित की गई हैं।

नई प्रणाली के लागू होने से ट्रेनों के बीच सुरक्षित अंतर बनाए रखने, रेल यातायात की क्षमता बढ़ाने तथा समयपालन में सुधार करने में सहायता मिलेगी। साथ ही आधुनिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भविष्य में कवच जैसी उन्नत सुरक्षा प्रणालियों एवं यात्री सूचना प्रणालियों के लिए उच्च गति डेटा संचार उपलब्ध कराएगा। इससे तांबे की केबलों और पारंपरिक रिले आधारित प्रणालियों पर निर्भरता कम होगी तथा रखरखाव लागत में भी कमी आएगी।

इस दौरान मुख्यालय से मुख्य संकेत एवं दूर संचार इंजीनियर श्री महिपाल सिंह, भोपाल मंडल से उप मुख्य संकेत एवं संचार इंजीनियर श्री विवेक अग्रवाल, मंडल संकेत एवं दूर संचार इंजीनियर श्री उत्कर्ष अग्रवाल एवं कार्य संपादित करने वाली एजेंसी के मुख्य कार्य निदेशक श्री प्रीतु पाठक एवं अन्य रेल्वे अधिकारी उपस्थित रहे।

यह कार्य भोपाल मंडल के सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग तथा पैराम-सीमेंस कंसोर्टियम के संयुक्त प्रयासों से सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस परियोजना के शुरू होने से भोपाल मंडल में रेल संचालन की सुरक्षा, विश्वसनीयता और दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी तथा भविष्य की बढ़ती यातायात आवश्यकताओं के लिए मजबूत आधार तैयार होगा।

555

Presiding Officer: **श्री कुशाग्र अग्रवाल**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(सक्सेशन प्रकरण क्रमांक MJC SUC/0000005/2025)
भुजला बरबडे.. **आवेदक VS** पोस्ट मास्टर... **अनावेदक**
/32/2026
Process ID/2026 पेशी दि.: 23/06/2026

प्रेषिती-1. सर्वसाधारण। **यह कि प्रार्थी** 1. श्रीमति भुजला बरबडे बेवा लक्ष्मण बरबडे उम्र 67 वर्ष 2. रविन्द्र बरबडे पिता लक्ष्मण बरबडे उम्र 52 वर्ष दोनो निवासी वार्ड नं. 12 भवानी नगर आमला थाना आमला तहसील आमला जिला बैतूल म.प्र. ने आपके विरूद्ध आवेदन पत्र वास्ते धारा 372 उत्तराधिकार अधिनियम के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 08 June 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें:** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

कुशाग्र अग्रवाल
व्यवहार न्यायाधीश आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भीकनगांव जिला खरगोन

राजस्व प्रकरण क्रमांक/0056/अपील/2025-26

सूचना-पत्र

556

1. अर्पित पिता बंसत शर्मा जाति ब्रह्मण निवासी उंटकुंआ खारी बावडी जिला-खण्डवा...**अपीलार्थी विरूद्ध** 1. रमेश पिता रघुवीर शर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी-61 श्रीराम नगर बंगाली चौराहा कनाडिया रोड इन्दौर। **एतद् द्वारा** प्रत्यर्थी को सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी अर्पित पिता बसंत शर्मा जाति-ब्रहाम्ण निवासी-उंटकुंआ खारी बावडी जिला खण्डवा, द्वारा इस न्यायालय में ग्राम- डेहरिया तहसील भीकनगांव, जिला-खरगोन की भूमि खसरा नंबर 17/2 रकबा 2.023 है. की भूमि में नामांतरण के संबंध में न्यायालय तहसीलदार तहसील झिरन्या, के प्रकरण क्रमांक/0444/अ-6/2025-26 में आदेश दिनांक 09/01/2025 से असंतुष्ट होकर अपील आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जो इस न्यायालय में प्रचलित है। अत: न्यायहित में आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप स्वयं या आपके अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 23/06/2026 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है। अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में विधि अनुसार एकपक्षीय आगामी कार्यवाही की जावेगी।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) भीकनगांव

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1
महाराणा प्रताप नगर भोपाल

प्रापर्टी आई.डी. नं. 7900000141 आवेदन क्रमांक-12063, आवेदन दिनांक-28/04/2026
क्रमांक 2045/राजस्व/भौविप्रा/26 भोपाल
दिनांक: 01/06/2026

आम सूचना

557

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की पंचशील नगर योजना स्थित भूखण्ड क्रमांक 141 क्षेत्रफल 450 वर्गफुट आवंटी श्री राजबहादुर सिंह आत्मज श्री राम मूरत सिंह के नाम पर आवंटित है। आवंटी श्री राजबहादुर सिंह का स्वर्गवास दिनांक: 22/02/2022 को हो जाने के कारण एवं आवंटी श्री राजबहादुर सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड की बसीयत अपनी पुत्रबधु श्रीमती सीमा सिंह के पक्ष में कर बसीयतनामा दिनांक 04/07/2013 को पंजीकृत कराया गया श्रीमती सीमा सिंह द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड एवं पंजीकृत वसीयत एवं सहमति/शपथ पत्र तथा वांछित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड क्रमांक 141 क्षेत्रफल 450 वर्गफुट का अपने नाम पर गामांतरण चाहा गया है। नोट-उक्त आमसूचना दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करावे। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1
महाराणा प्रताप नगर भोपाल

प्रापर्टी आई.डी. नं. 0403410377, आवेदन क्रमांक-10018, आवेदन दिनांक-11/11/2025
क्रमांक 1128/राजस्व/भौविप्रा/26 भोपाल
दिनांक: 07/01/2026

आम सूचना

558

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की साकेत नगर योजना में स्थित भूखण्ड क्रमांक 377 सेक्टर 9 ए श्री के जी हलदर और श्रीमती रेनुका हलदर के संयुक्त नाम पर आवंटित है संयुक्त आवंटी में से श्रीमती रेनुका हलदर का स्वर्गवास दिनांक 10/05/2021 को हो जाने के कारण आवंटी के वारिस 1 के जी हलदर 2 मृणाल हलदर 3 निर्मल हलदर 4 शिप्रा बिस्वास पुत्र एवं पुत्री के जी हलदर द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र शपथ पत्र आधार कार्ड शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड क्रमांक 141 क्षेत्रफल 450 वर्गफुट का अपने नाम पर गामांतरण चाहा गया है उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति /उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति /दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा /आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

सूडोकु नवताल- 7806

कठिनतम

2						5		
	1			8				9
7					4			
			9			1		
	3						6	
		8			5			
			3					8
5				6			2	
		4						7

Jagrutidaur.com, Bangalore

सूडोकु नवताल -7805 का हल

2	3	6	8	5	1	4	9	7
9	4	5	7	6	3	8	2	1
1	7	8	2	9	4	6	5	3
3	1	9	6	7	2	5	4	8
5	6	2	1	4	8	3	7	9
7	8	4	5	3	9	1	6	2
4	9	1	3	2	5	7	8	6
8	2	7	4	1	6	9	3	5
6	5	3	9	8	7	2	1	4

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

काकुरो पहेली - 7479

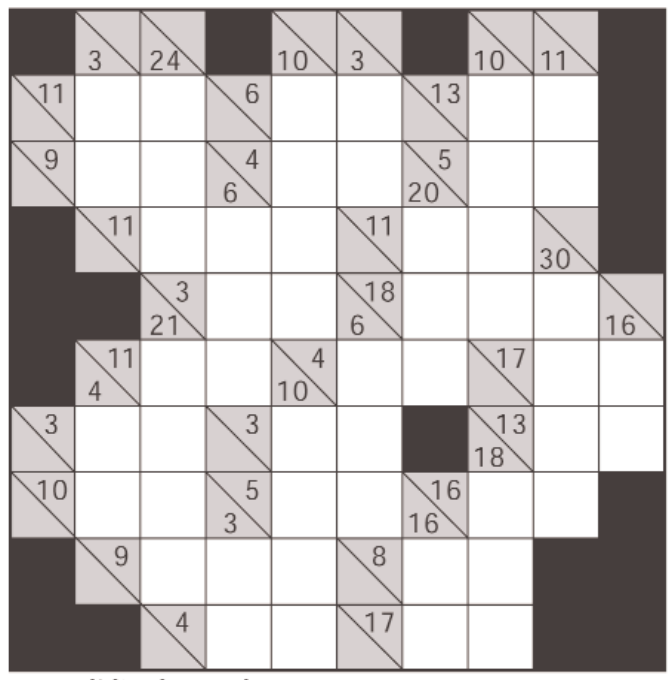

खाली वर्गों में 1 से 9 तक के अंक लिखकर नीचे से ऊपर व दाएं से बाएं की जोड़ हल्के रंग के आधे वर्ग की संख्या से मेल खानी चाहिए.किसी भी अंक का उस जोड़ में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता.

उदाहरणत:

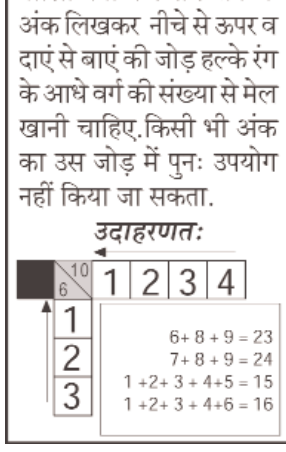

काकुरो - 7478 का हल

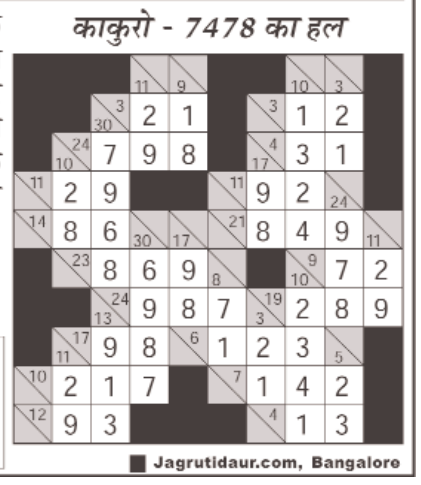

Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्द पहेली - 8876

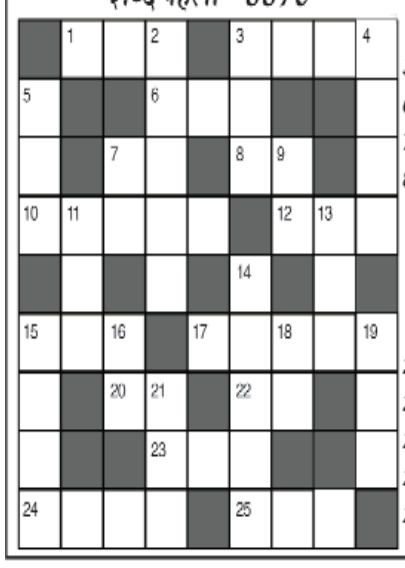

बाएँ से दाएँ

1. चोगा, गाऊन-3
3. पायजामा, शलवार-4
6. भाग्य, लक-3
7. सूर्य, भास्कर-2
8. बिता हुआ दिन-2
10. न्यूनता, निम्नता-5
12. मैडल, पदक-3
15. माला का मोती-3
17. कुलिन स्त्री-5
20. थूक, लेस-2
22. विलंब, लेट-2
23. जाँच, निरीक्षण-3
24. श्मशान, शवदाहगृह-4
25. साफ, बेदाग-3

ऊपर से नीचे

2. दानशीलता, उदारता-5
3. पाठ, शिक्षा-3
4. रात्रि जागरण-4
5. नेत्रावरण-3
7. लीन, मगन-2
9. बुरी आदत-2
11. कामदेव-3
13. मगरमच्छ-3
14. इंतजार करना-2,3
15. आलेप, लोशन-4
16. सफेद का विलोम-2
18. पानी से सराबोर-2
19. माजरा, हालात-3
21. रिपोर्ट-3

शब्द पहेली -8875 का हल

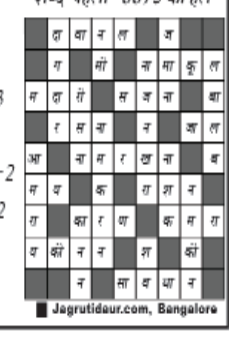

Jagrutidaur.com, Bangalore

फिल्म वर्ग पहेली- 7318

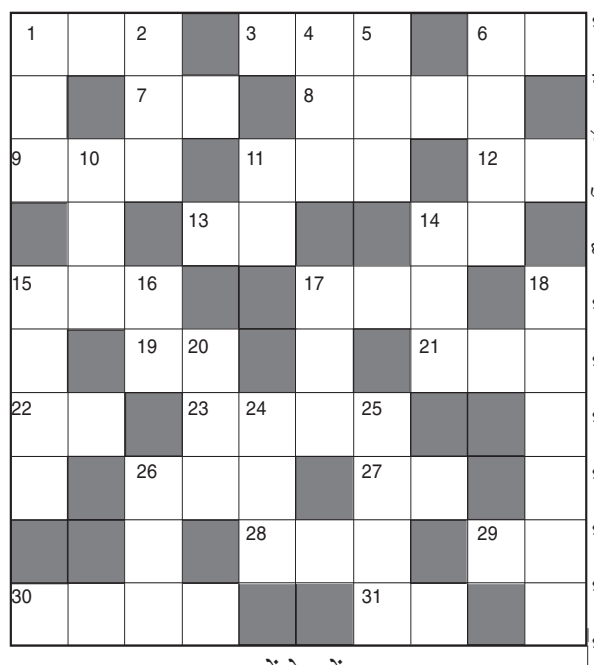

ऊपर से नीचे:-

१.'मन क्यों बहका रे' गीत वाली शशि शेखर सुमन, रेखा, नीना की फिल्म-३
२. मिथुन, जुगल, सोनाली की 'तेरी चाहत में दिल' गीत वाली फिल्म-१,२
४. 'सीली हवा छू गई सीला' गीत वाली नसीर, शबाना आजमी की फिल्म-३
५. अमिताभ, अमजद खान, नीतू की 'छूकर मेरे मन' गीत वाली फिल्म-३
६. 'बोल बेबी बोल रॉक' गीत वाली अनिल कपूर, मीनाक्षी की फिल्म-२,२
१०. धर्मेन्द्र, हेमा मालिनी की 'राजा ना जा ना जा' गीत वाली फिल्म-३
११. 'मैं इश्क उसका' गीत वाली अर्जुन रामपाल, जायेद, अमीषा की फिल्म-२
१४. धर्मेन्द्र, हेमा मालिनी की 'मैं लैला का मजनूं' गीत वाली फिल्म-३
१५. 'कोरा कागज था मन' गीत वाली राजेश खन्ना, शर्मिला की फिल्म-४
१६. संजय कपूर, माधूरी की 'फूल मांगू ना बहार माँगूं' गीत वाली फिल्म-२
१७. 'दिले बेताब को सीने से' गीत वाली राजेंद्रकुमार, वहीदा की फिल्म-३
१८. अमिताभ, अक्षय, जॉन, रिमी की 'फलक देखूं' गीत वाली फिल्म-३,३
२०. फिल्म 'देवी' में नायिका कौन थी-३
२४. 'अंखियां मिलाके जिया' गीत वाली फिल्म-३
२५. नसीर, अष्मित, उर्मिला की फिल्म-४
२६. 'शहर शहर डगर डगर' गीत वाली जैकी, संजय, सोनम की फिल्म-२,१

बायें से दायें:-

१. जॉय मुखर्जी, नंदा की 'मुझे इश्क है तुम्हीं से' गीत वाली फिल्म-३
३. 'मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो' गीत वाली राजकपूर, नूतन की फिल्म-३
६. आमिर, फैजल, ट्विंकल की 'तुझे रब ने बनाया है' गीत वाली फिल्म-२
७. अमिताभ, जीनत अमान की फिल्म-२
८. 'तसवीर बनाता हूँ' गीतवाली फिल्म-४
९. 'जब लिया हाथ' गीत वाली राजेंद्र कुमार, गीता बाली की फिल्म-३
११. राजकुमार, प्रिया की 'ये पर्वतों के दायरे ये शाम' गीत वाली फिल्म-३
१२. 'दिल में जिगर में' गीत वाली संजय, जैकी, शिल्पा, रवीना की फिल्म-२
१३. विकास भल्ला, सुमीत, की 'कोई दिल ना किसी' गीत वाली फिल्म-२
१४. 'काहे कोयल शोर मचाये' गीत वाली राजकपूर, नर्गिस की फिल्म-२
१५. विश्वजीत, माला सिन्हा की फिल्म-३
१७. राजकुमार, मीना की 'चलते चलते यूंही कोई मिल' गीत वाली फिल्म-३
१९. जैकी श्रॉफ, रति की फिल्म-२
२१. ऋषिकपूर, अरबाज, जूही की 'ये प्यार यार क्या' गीत वाली फिल्म-३
२२. 'ना सतरा से ऊपर ना' गीत वाली नवीन निश्चल, रेखा की फिल्म-२
२३. 'दुपट्टे का पल्लू' गीतवाली फिल्म-४
२६. फिल्म 'दोस्ताना' में अमिताभ की नायिका ?-३
२७. अभिषेक, अंतरा माली की 'इश्क दा तड़का' गीत वाली फिल्म-२
२८. 'मेरे दिल में रहो या जिगर' गीत वाली अष्मित, मीरा की फिल्म-३
२९. गुरूदत्त, वहीदा रहमान की 'जाने क्या तूने कही' गीत वाली फिल्म-२
३०. 'देर है अंधेर नही' गीत वाली शत्रुघ्न, राजकपूर, योगिता की फिल्म-२,२
३१. फिल्म 'सलाखें' में नायक ?-२

फिल्म वर्ग पहेली- 7317

य	ह	दी		अ	नु	रे	ध		क्रो
ह		वा	स्त	व		हि		आँ	धी
दे	व	र		ता	क	त		च	
श	र्त		पा	र	स		स	ल	मा
	मा		पी		क	स	म		ला
जा	न	म		अ		गा	य	ब	
ने		शा	र	दा		ई		ना	च
म	ह	ल		ल	की		जो	र	
न			अं	त		जं		स	त्या
	बा	रि	श		जु	ग	नू		ग

Jagrutidaur.com, Bangalore

अष्टयोग - 7412

3		4		7		2
	33		34		30	
5		7	1	2		4
4	30		25		34	
1		3		5	6	
	36		34		31	3
	6	5	4		2	1

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है.खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं.गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी.सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 7411 का हल

3	5	4	6	7	1	2
2	33	1	36	6	27	5
7	6	5	4	3	2	1
4	30	2	27	1	31	6
1	2	3	4	5	6	7
6	36	6	32	4	34	3
5	6	7	1	2	3	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्दजाल- 8432

ग	दि	न	ल	बे	म	ज	चां	न	र	क	
ग	र	म	म	सा	ला	जी	द	इ	व	ल	
आ	कं	दे	ला	ह	जी	स्म	नी	का	क्त	दि	
वा	ची	प	श	ल	ज	प	बा	पा	ल	र	
स्तु	त	ई	न्नी	में	स	खें	र	भा	म	जं	
शा	मे	म	क	ला	बे	ला	न	ई	क	ग	
स्त्र	जं	न्स	मे	ल	क	ता	म	न	है	ल	
च	म	न	ए	सं	हो	प	र	ली	म	ए	
ले	बो	र्न	य	त	चि	ना	री	रो	न	क्स	
क्या	कु	ल	है	ह	म	त्र	हो	ड	म	प्रे	
बे	बौ	लो	नि	या	ल	र	न	रा	त	स	

शब्दजाल में राजपाल यादव की १० फिल्मों के नाम ढूंढिए.शब्द ऊपर से नीचे,दाएं से बाएं एवं तिरछे हो सकते हैं

गरम मसाला, वास्तुशास्त्र, क्या कूल है हम, कल हो ना हो, रोड, जंगल, चांदनी बार, वक्त, कंपन्नी, लाल सलाम

शब्दजाल - 8431 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore